संख्या बीमा–2084/दस–87–10/1987

प्रषक,

श्री विजय कृष्ण सक्सेना,
प्रमुख सचिव ,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष
तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 31 जुलाई, 1987 ।

विषय––राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के दावा प्रपत्रों का संशोधन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या बीमा–1316/दस–16–80, दिनांक 21 अक्टूबर, 1981, संख्या बीमा 2337/दस–83–2–1980, दिनांक 28 नवम्बर, 1983 तथा संख्या बीमा–2627/दस–87/1983, दिनांक 29 अक्टूबर, 1984 के आंशिक संशोधन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेवानिवृत्त तथा सेवारत अवस्था के मृत कर्मचारियों/अधिकारियों के सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत दावा प्रस्तुत करने के लिये शासन द्वारा उक्त शासनादेशों में निर्धारित प्रपत्र संख्या 1, 2, 1 अ0, 20, 21 व 22 के स्थान पर दिनांक 1 अक्टूबर, 1987 से जी0 आई0 एस0 प्रपत्र संख्या 26 व 27 निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है। जी0 आई0 एस0 प्रपत्र संख्या 26 में सेवानिवृत्त अथवा सेवा से अन्यथा पृथक होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के दावों का तथा जी0 आई0 एस0 प्रपत्र संख्या 27 में सेवारत अवस्था में मृत अधिकारियों/कर्मचारियों के दावों का प्रेषण किया जायगा।

2––वर्तमान व्यवस्था के अनुसार सेवानिवृत्त अथवा सेवा से अन्यथा पृथक होने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों को अपने योजना के दावों को प्राप्त करने के लिये जी0 आई0 एस0 प्रपत्र संख्या–1 तथा 20 (जो लागू हों) पर प्रविष्टियां पूर्ण करके संबंधित कार्यालयों/विभागों में प्रस्तुत करना होता है। शासन से यह निर्णय लिया है कि अब सेवानिवृत्त अथवा सेवा से अन्यथा पृथक होने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों से कोई भी प्रपत्र न भरवाया जाय और उनके दावे जी0 आई0 एस0 प्रपत्र संख्या–26 पर संबंधित कार्यालय/विभाग द्वारा तैयार करके बीमा निदेशालय को भेजें जायं।

3––उपर्युक्त व्यवस्था दिनांक 1 अक्टूबर, 1987 से लागू होगी परन्तु यदि किसी कारणवश प्रस्तर–1 में उल्लिखित शासनादेशों में निर्धारित प्रपत्रों में दावे अग्रसारित किये जाते हैं जो तो ऐसे दावे दिनांक 31 मार्च, 1988 तक सेवानिवृत्त/सेवा से पृथक होने वाले अथवा सेवारत अवस्था में मृत कर्मचारियों/अधिकारियों के विषय में मान्य होंगे और उन्हें इस आधार पर अस्वीकृत अथवा आपत्ति लगाकर नहीं लौटाया जायगा कि दावा निर्धारित प्रपत्र पर नहीं है। 1 अप्रैल, 1988 को अथवा उसके बाद प्रस्तुत किये जाने वाले दावे इस शासनादेश के साथ निर्धारित प्रपत्रों में ही स्वीकार किये जायेंगे।

भवदीय,
विजय कृष्ण सक्सेना,
प्रमुख सचिव ।

संख्या बीमा–2084 (1)/दस–87–10/1987 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

(1) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(2) विधान परिषद्/विधान सभा सचिवालय।
(3) श्री राज्यपाल का सचिवालय।
(4) कन्ट्रोलर आफ़ इन्श्योरेन्स, भारत सरकार वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) बीमा प्रभाग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली।
(5) सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार विभाग, नई दिल्ली (50 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
(6) भारत के महालेखा नियंत्रक, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) लोकनायक भवन, आठवां तल, नई दिल्ली।

आज्ञा से,
ज्ञानेन्द्र नारायण,
अनु सचिव।